लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2717

04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कोसा रेशम बुनाई का संरक्षण

2717. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:

क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कोसा रेशम बुनाई विरासत के संरक्षण, संवर्धन और युवा पीढ़ी के बीच अंतरण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें शामिल कारीगरों, बुनकरों, प्रशिक्षुओं और स्वयं सहायता समूहों की संख्या कितनी है तथा छत्तीसगढ़ में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में पारंपरिक कोसा बुनाई समूहों के लिए समर्पित डिजाइन, कौशल विकास और सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना की है अथवा स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) छत्तीसगढ़ कोसा रेशम की ब्रांडिंग, भौगोलिक संकेत (जीआई) आधारित संवर्धन, डिजिटल विपणन और निर्यात अवसरों में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है कि ग्रामीण और जनजातीय युवाओं के लिए संस्थागत प्रशिक्षण, कारीगरों की सहायता और बाजार से जुड़ी आजीविका के अवसरों के माध्यम से पारंपरिक बुनाई कौशल का संरक्षण किया जाए?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) से (ङ): वस्त्र मंत्रालय छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में हथकरघा क्षेत्र के समग्र विकास और हथकरघा कामगारों के कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं संचालित कर रहा है:

1. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी);
2. कच्चा माल आपूर्ति योजना (आरएमएसएस);

उपर्युक्त योजनाओं के तहत, पात्र हथकरघा एजेंसियों/कामगारों को कच्चे माल, उन्नत करघे और सहायक उपकरण की खरीद, सोलर लाइटिंग यूनिट, वर्कशेड के निर्माण, कौशल, उत्पाद विविधिकरण और डिज़ाइन नवाचार, तकनीकी और सामान्य अवसंरचना, इंडिया हैंडलूम ब्रांड (आईएचबी), हैंडलूम मार्क (एचएलएम) और जीआई टैग के माध्यम से प्रचार और ब्रांड विकास, ई-कॉमर्स सुविधाएँ, घरेलू/विदेशी बाज़ारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, बुनकर मुद्रा योजना के तहत रियायती ऋण और सामाजिक सुरक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

सरकार ने कौशल विकास, रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने, कारीगरों के कल्याण और बाज़ार सहायता के माध्यम से छत्तीसगढ़ की कोसा सिल्क बुनाई की विरासत को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। **समर्थ**, राज्य-स्तरीय कारीगर प्रशिक्षण कार्यक्रम, रेशम उत्पादन विकास पहल और ओडीओपी कार्यक्रम जैसी योजनाएँ मिलकर पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने में योगदान देती हैं। साथ ही, ये युवा पीढ़ी को कोसा सिल्क बुनाई को एक व्यावहारिक सांस्कृतिक और आर्थिक पेशे के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

आईएचबी को अच्छी गुणवत्ता, प्रमाणिक पारंपरिक डिज़ाइन, जीरो डिफैक्ट और पर्यावरण पर जीरो इफैक्ट वाले विशिष्ट हथकरघा उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं: 100% हैंडलूम, 100% नेचुरल फाइबर से निर्मित, सुनिश्चित पक्के रंग, त्वचा के अनुकूल सुरक्षित डाई और सामाजिक तौर पर अपनाया जाने वाला।

छत्तीसगढ़ की चंपा कोसा (टसर सिल्क) साड़ी को वर्ष 2010 में जीआई उत्पाद के तहत पंजीकृत किया जा चुका है।

जीआई उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहित, हथकरघा निर्यातकों/बुनकरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) के माध्यम से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मार्केटिंग कार्यक्रमों/मेलों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बायर-सेलर मीट, रिवर्स बायर-सेलर मीट, बिग टिकट इवेंट, भारत टेक्स आयोजित किए जाते हैं।

वस्त्र मंत्रालय, हथकरघा बुनकरों को बाज़ार तक सीधी पहुँच प्रदान करने ताकि बिचौलियों पर निर्भरता कम हो और उनके प्रोफिट मार्जिन में बढ़ोत्तरी के लिए डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) के माध्यम से indiahandmade.com नाम के ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म का संचालन करता है।

इसके अलावा, पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान छत्तीसगढ़ में हथकरघा क्षेत्र को निम्नलिखित सहायता प्रदान की गई है:

- 1079 हथकरघा बुनकरों को लाभान्वित करते हुए 3.82 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता से 05 लघु हथकरघा क्लस्टरों को लिया गया है।
- हथकरघा संवर्धन सहायता के तहत 2,473 बुनकरों को उन्नत करघे और सहायक उपकरण प्रदान किए गए।
- 1,593 हथकरघा कामगारों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- हथकरघा उत्पादों की बिक्री को सुगम बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए 06 मार्केटिंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- उत्पादकता, मार्केटिंग क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिए 02 हथकरघा उत्पादक कंपनियों का गठन किया गया है।
- परिवहन सब्सिडी और मूल्य सब्सिडी के तहत कुल 111.97 लाख किलोग्राम यार्न की आपूर्ति की गई।
